

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 108]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 मार्च 2015—फाल्गुन 21, शक 1936

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2015

अधिसूचना क्रमांक 128 एफ 4-129-2014-अठारह-1.—

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 86 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 355 की उप धारा (1) तथा उप धारा (2) के खण्ड (चार) के उप-खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य नगरीय यांत्रिकी सेवा, (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2015 है।
- (2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, :-

- (क) "अधिनियम" से अगिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961);

- (ख) सेवा या पद के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, शासन या संस्थान प्राधिकारी;
- (ग) "आयोग" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग;
- (घ) "आयुक्त" से अभिप्रेत है, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश;
- (ङ) "समिति" से अभिप्रेत है विभागीय पदोन्नति समिति / चयन समिति;
- (च) "अनुशासनिक प्राधिकारी" से अभिप्रेत उस प्राधिकारी से है, जो अनुसूची एक के कॉलम (7) में यथा विहित है;
- (छ) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, नियम 12 के अधीन सेवा में भरती के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा;
- (ज) "शासन" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन;
- (झ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा, समय-समय पर, यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/25/4/84 दिनांक 26 दिसंबर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (ञ) "चयन संस्थान" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर चयन के लिए विहित कोई संस्थान, अभिकरण, सार्वजनिक उपक्रम इकाई या स्वशासी निकाय ;
- (ट) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची ;
- (ठ) "अनुसूचित जातियों" से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूल वंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ड) "अनुसूचित जनजातियों" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संवंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ढ) "सेवा" से अभिप्रेत है, राज्य नगरीय यांत्रिकी सेवा ;

(ण) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य ।

3. विस्तार तथा लागू डोना.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. सेवा का गठन.— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—

(एक) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों;

(दो) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व, सेवा में भर्ती किए गए हों; और

(तीन) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों।

5. वर्गीकरण, वेतनमान आदि.— (1) सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान अनुसूची—एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होंगे :

परन्तु शासन, समय—समय पर, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. भर्ती का तरीका.—

(1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात्, सेवा या पद की भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा, परीक्षा/साक्षात्कार या दोनों द्वारा ;

- (ख) अनुसूची-चार में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;
- (ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल रूप से धारण करते हैं जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए।
- (2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अर्धान भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या तथा अनुसूची-दो में यथा विनिर्दिष्ट की गई प्रतिशतता से अधिक नहीं होगी।
- (3) इन नियमों के उपबंधों के अधधीन रहते हुए, सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों, जिन्हें भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी।
- (4) उपनियम (1) में अतिविष्ट किर्स बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना अपेक्षित हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति प्राप्त करने के पश्चात् उक्त नियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के तरीकों से भिन्न, ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जो इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा विहित किया जाए।

7. सेवा में नियुक्ति.—

- (1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात्, सेवा में या पद पर समस्त नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।
- (2) अनुसूची-एक में यथा विनिर्दिष्ट द्वितीय-श्रेणी के पदों की नियुक्तियां मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से राज्य शासन द्वारा की जाएंगी।

(3) तृतीय-श्रेणी सेवा की नियुक्तियां राज्य शासन द्वारा विहित किसी चयन संस्थान के माध्यम से आयुक्त द्वारा की जाएंगी ।

8. सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.— चयन के लिए पात्र होने हेतु, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :—

(क) आयु—

(एक) न्यूनतम और अधिकतम आयु की सीमाएं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार होंगी ।

आयु की संगणना विज्ञापन की तारीख से आगामी जनवरी के प्रथम दिवस को की जाएगी ।

(दो) उच्चतर आयु सीमा नीचे दिए गए अनुसार शिथिलनीय होगी :—

(क) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र के अनुसार मध्यप्रदेश शासन और राज्य के निगम/मण्डल, स्वशासी निकायों, आकरिमकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को शिथिलीकरण अनुज्ञेय होगा ;

(ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (कमांक 21 सन् 1994) की धारा 9 के अधीन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार शिथिलीकरण अनुज्ञेय होगा ;

(ग) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को शिथिलीकरण अनुज्ञेय होगा ;

(घ) मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य सिविल सेवा और पद तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में आरक्षण) नियम, 1985 के नियम 5 के अनुसार मध्यप्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को शिथिलीकरण अनुज्ञेय होगा ;

(ड.) मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार निम्नलिखित प्रवर्गों के लिए शिथिलीकरण अनुज्ञेय होगा :-

- (एक) विधवा/निराश्रित महिला/तलाकशुदा महिला ;
- (दो) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति ;
- (तीन) परिवार नियोजन कार्यक्रम के अधीन ग्रीन कार्ड धारक ;
- (चार) विक्रम पुरस्कार से पुरस्कृत खिलाड़ी ;
- (पांच) अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत सवर्ण पति या पत्नी ;
- (छह) सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य प्रवर्ग ।

टिप्पणी :- (1) किसी भी प्रवर्ग के लिए समस्त शिथिलीकरण सम्मिलित करते हुए अधिकतम आयु सीमा, किसी भी दशा में, सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा नियत 45 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा से अधिक नहीं होगी ।

(2) उच्चतर आयु सीमा की संगणना समय समय पर यथासंशोधित सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-11/12/1/3/ दिनांक 20-11-2012 तथा 03-11-2014 के अनुसार होगी ।

(ख.) शैक्षणिक अर्हताएं- अभ्यर्थियों के पास अनुसूची तीन के कालम (5) के अधीन विहित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए ।

(ग.) फीस.- अभ्यर्थियों को आयोग या चयन संस्था द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा ।

9 निरर्हताएं- (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में उसके उपस्थित होने के लिए निरर्हता माना जा सकेगा ।

(2) कोई भी अभ्यर्थी सेवा में या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो ।

- (3) पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं और महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया है जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी।
- (4) कोई भी अभ्यर्थी, जिसका दो से अधिक जीवित संतान हों एवं जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु कोई भी ऐसा अभ्यर्थी, जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान हो तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

- (5) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु जहां किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हैं, तो उसकी नियुक्ति आपराधिक मामले का अन्तिम विनिश्चय होने तक लंबित रखी जाएगी।

10. नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.— परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में चयन संस्थान या नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

11. प्रतियोगिता परीक्षा /चयन द्वारा सीधी भर्ती.—

- (1) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा/चयन ऐसे अंतरालों से ली जाएगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, राज्य शासन अथवा आयोग के परामर्श से समय-समय पर अवधारित करें।

- (2) चयन संस्थान के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिए परीक्षा ऐसे आदेशों के अनुसार संचालित की जाएगी जो शासन द्वारा समय-समय पर जारी किया जाए।
- (3) मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार और राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।
- (4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय अभ्यर्थी जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम, नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक स्थान (रैंक) कुछ भी क्यों न हो।
- (5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों को, जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाए, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।
- (6) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।
- (7) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के अनुसार निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।

- (8) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।
- (9) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावाधि का अनुभव एक आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया हो और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाए कि आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे वहां नियुक्ति प्राधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श के पश्चात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अनुभव की शर्तों को शिथिल कर सकेगा।
- (10) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं, तो शेष रिक्तियां अन्य अभ्यर्थियों से नहीं भरी जाएंगी और रिक्तियां अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के आगामी चयन के लिए आरक्षित रखी जाएंगी।

12. सेवा के पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशासित अभ्यर्थियों की सूची.—

- (1) नियुक्ति प्राधिकारी उन अभ्यर्थियों की, योग्यता के क्रम में एक सूची तैयार करेगा और प्रकाशित करेगा, जो ऐसे मानक से अर्ह हों, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस मानक से अर्ह नहीं है किन्तु जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का समुचित ध्यान रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया हो, और यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जाएगी।

- (2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए, उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आए हों।
- (3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से उसे नियुक्ति के लिए तब तक कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक कि शासन का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- (4) चयन सूची, उसके जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक विधिमान्य रहेगी जो उपयंत्री की दशा में शासन तथा सहायक यंत्री की दशा में आयोग की सहमति से छह माह की कालावधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी।

13. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.-

- (1) कार्यपालन यंत्री तक के पदों पर पदोन्नति वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर की जाएगी। उच्च पदों पर पदोन्नति योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी अर्थात् समान योग्यता की दशा में, वरिष्ठता पर विचार किया जाएगा।
- (2) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए चयन करने हेतु अनुसूची-चार में यथा उल्लिखित सदस्यों को शामिल करते हुए एक समिति गठित की जाएगी :

परंतु यदि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को छोड़कर, नामानेर्दिष्ट किए गए अन्य सदस्यों में से कोई सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो उसी प्रास्थिति का अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक सदस्य विभागीय पदोन्नति समिति में सम्मिलित किया जाएगा और सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जाएगी।

- (3) अनुसूची— चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति उसके कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट पदों पर अभ्यर्थी की पात्रता, चयन प्रक्रिया, पदोन्नति में आरक्षण एवं पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिये विद्यमान नियम तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 में यथा विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार होगी।
- (4) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन.— नियुक्ति प्राधिकारी, उसके द्वारा जारी किये जाने वाले पदोन्नति आदेश पर इस आशय का पृष्ठांकन करेगा कि उसके द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों और राज्य शासन द्वारा उक्त अधिनियम के एवं नियमों के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है और उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

14. पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें.— (1) नियम 15 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट समिति, उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की 1 जनवरी को उस पद पर जिससे कि पदोन्नति की जानी है, उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न या मूल रूप से) शासन द्वारा अनुसूची चार के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट पदों पर या समतुल्य घोषित पदों पर पूर्ण कर ली हो और जो उपनियम (3) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों :

परन्तु किसी कनिष्ठ व्यक्ति को, चयन, चयन ग्रेड/पदोन्नति के लिए केवल इस आधार पर उससे वरिष्ठ व्यक्तियों पर अधिमान नहीं दिया जाएगा कि उसने सेवा की विहित कालावधि पूर्ण कर ली है।

15. पदोन्नति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.—

- (1) विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो नियम 14 में विहित शर्तों को पूरा करते हों और जिन्हें समिति द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त ठहराया गया हो। यह सूची, चयन सूची तैयार किए जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों की पूर्ति के लिए पर्याप्त होगी। पूर्वोक्त कालावधि के दौरान उद्भूत होने वाली संभावित रिक्तियों की पूर्ति के लिए, उक्त चयन सूची में सम्मिलित 25 प्रतिशत व्यक्तियों की संख्या से मिलकर बनने वाली एक आरक्षित सूची तैयार की जाएगी।
- (2) चयन सूची तैयार करने के लिए मानदण्ड, मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार होंगे।
- (3) प्रत्येक चयन सूची तैयार करते समय, चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम, अनुसूची चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे, जहां पदोन्नति, योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर की जानी है, वहां चयन सूची, मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार तैयार की जाएगी।

16. पदोन्नति हेतु तैयार की गई चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.—

- (1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा के संवर्ग (काडर) के पदों पर नियुक्तियां उसी क्रम में की जाएंगी, जिस क्रम से ऐसे व्यक्तियों के नाम चयन सूची में आए हों।
- (2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित है, सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किये जाने तथा प्रस्तावित

नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी गिरावट न आ गई हो, जो शासन के मत में ऐसी हो, जिससे वह सेवा में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त हो गया हो।

17. **परिवीक्षा.**— सेवा में सीधी भरती किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।
18. **निर्वचन.**— यदि इन नियमों की निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो वह शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।
19. **शिथिलीकरण.**— इन नियमों में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हों, ऐसी रीति से जो उन्हें उचित और साम्यपूर्ण प्रतीत होती हों, कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उस व्यक्ति के लिये कम अनुकूल हो।

20. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों में कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राज्य शासन द्वारा, समय-समय पर इस संबंध में जारी किए गए निर्देशों/आदेशों के अनुसार, उपबंधित किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण एवं अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।
21. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**— इन नियमों के तत्स्थानी समस्त नियम तथा जो इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त हों, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में, एतद्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन जारी किए गए किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन जारी किया गया है या की गई है।

अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिए)

वर्गीकरण, वेतनमान, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	पदस्थापना	अनुशासनिक प्राधिकारी	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	प्रमुख अभियंता	1	प्रथम श्रेणी	37400-67000 + 10000 ग्रेड वेतन	संचालनालय में 01 पद	आयुक्त	शासन
2.	मुख्य अभियंता	5	प्रथम श्रेणी	37400-67000 + 8700 ग्रेड वेतन	संचालनालय में 01, नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर 04	आयुक्त	शासन
3.	अधीक्षण यंत्री	24	प्रथम श्रेणी	15600-39100 + 7600 ग्रेड वेतन	संचालनालय में 03, संभागीय कार्यालय में 10, नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर 11	आयुक्त	शासन
4.	कार्यपालन यंत्री	50	प्रथम श्रेणी	15600-39100 + 6600 ग्रेड वेतन	संचालनालय में 06, संभागीय कार्यालय में 20, नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर एवं आरक्षित 05, नगर पालिका परिषद् 19	आयुक्त	शासन

5.	सहायक यंत्री	158	द्वितीय श्रेणी	15600-39100 + 5400 ग्रेड वेतन	संचालनालय में 6, संभागीय कार्यालय में 20, नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर एवं आरक्षित 13, नगर पालिका परिषद् 113.	आयुक्त	शासन
6.	उपयंत्री	721	तृतीय श्रेणी	9300-34800 + 3600 ग्रेड वेतन	नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर आरक्षित 54, एवं नगर पालिका परिषद् में 667	प्रमुख अभियंता	आयुक्त

अनुसूची - दो
(नियम 6 देखिए)
भर्ती का तरीका

अनुक्रमांक	पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या की प्रतिशतता		अन्ध अस्थाई (तदर्थ) सेवाओं से स्थानान्तरण	अभ्युक्तियां
			सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	प्रमुख अभियंता	1	-	100 प्रतिशत		
2.	मुख्य अभियंता	5	-	100 प्रतिशत		
3.	अधीक्षण यंत्री	24	-	100 प्रतिशत		
4.	कार्यपालन यंत्री	50	-	100 प्रतिशत		

5.	सहायक यंत्री	158	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत*	*33 प्रतिशत उन उपयंत्रियों में से जो डिप्लोमाधारक हैं। 13 प्रतिशत उन उपयंत्रियों में से, जिन्होंने सेवा के दौरान अभियांत्रिकी उपाधि प्राप्त की है तथा वे उपयंत्री जो सेवा में पदग्रहण के पूर्व इंजीनियरिंग उपाधि रखते हैं तथा 4 प्रतिशत मानचित्रकार संवर्ग से।
6.	उपयंत्री	721	95 प्रतिशत	5 प्रतिशत	उपरोक्त तथा उल्लिखित पद पर 5 वर्ष की सेवा को पूर्णता के पश्चात डिप्लोमा / उपाधि धारक प्रारूपकार / सहायक प्रारूपकार, ट्रेसर / टाइम कीपर में से 5 प्रतिशत.

अनुसूची- तीन

(नियम 8 एवं 9 देखिए)

सीधी भर्ती हेतु व्यक्ति की आयु एवं अर्हता

अनुक्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सहायक यंत्री	21 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से सिविल / मेकेनिकल / इलेक्ट्रिकल / इंजीनियरिंग में बी.ई. / बी. टेक. या समतुल्य	अपेक्षित संकाय में स्नातक या अभियांत्रिकी समतुल्य.
2.	उपयंत्री	18 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से सिविल / मेकेनिकल / इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा	अभियांत्रिकी अपेक्षित संकाय में डिप्लोमा.

अनुसूची-चार
(नियम 14 देखिए)

पदोन्नति के लिए सेवा अनुभव तथा विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य

अनुक्रमांक	उस पद या सेवा का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	उस पद पर अनुभव जिससे कि पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मुख्य अभियंता	प्रमुख अभियंता	—	1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन या उसका नामनिर्देशिती —अध्यक्ष 2. अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन —सदस्य 3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग —सदस्य 4. मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के वर्ग का एक व्यक्ति —सदस्य	1. अभियांत्रिकी में स्नातक होना चाहिए।
2.	अधीक्षण यंत्री	मुख्य अभियंता	1. अधीक्षण यंत्री के पद पर 3 वर्ष की सेवा पूर्ण हो जाने के पश्चात्।	1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन या उसका नामनिर्देशिती — अध्यक्ष 2. वरिष्ठ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन —सदस्य 3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास	1. अभियांत्रिकी में स्नातक होना चाहिए।

				एवं पर्यावरण विभाग —सदस्य 4. मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के वर्ग का एक व्यक्ति —सदस्य	
3.	कार्यपालन यंत्री	अधीक्षण यंत्री	1. कार्यपालन यंत्री के पद पर 5 वर्ष की सेवा पूर्ण हो जाने के पश्चात्।	1.अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसका नामनिर्देशिती —अध्यक्ष 2.प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग —अध्यक्ष 3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग —सदस्य 4. विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के वर्ग का एक व्यक्ति —सदस्य	1.अभियांत्रिकी में स्नातक होना चाहिए। 2.सिविल, मेकेनिकल और इलेक्ट्रिकल अभियंता की सामान्य पदक्रम सूची से।
4.	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री	सहायक यंत्री के पद पर 6 वर्ष की सेवा पूर्ण हो जाने के पश्चात्।	—तदैव—	
5.	उपयंत्री	सहायक यंत्री	1.डिप्लोमाधारी उपयंत्री के पद पर 12 वर्ष की सेवा पूर्ण हो जाने के पश्चात्। 2.उपाधिधारी उपयंत्री के पद पर 8 वर्ष की सेवा पूर्ण हो जाने के पश्चात्।	—तदैव—	

6.	प्रारूपकार/ सहायक प्रारूपकार/ ट्रेसर/ टाईमकीपर	उपयंत्री	प्रारूपकार, सहायक प्रारूपकार, ट्रेसर, टाईमकीपर के पद पर 5 वर्ष की सेवा पूर्ण हो जाने के पश्चात् ।	1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग / मुख्य अभियंता —अध्यक्ष 2. मुख्य अभियंता / वरिष्ठ अधीक्षण यंत्री — सदस्य 3. संयुक्त संचालक, नगरीय विकास एवं पर्यावरण — सदस्य 4. आयुक्त द्वारा मनोनीत अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के वर्ग का एक व्यक्ति —सदस्य	प्रारूपकार/ सहायक प्रारूपकार/ ट्रेसर/ टाईमकीपर की सामान्य पदक्रम सूची से ।
----	--	----------	---	--	--

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2015

क्रमांक 128 एफ 4-129/2014/18-1 — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 128 एफ 4-129/2014/18-1 दिनांक 12.3.15 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एदतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 12th March 2015

Not. No. 128 F4-129-2014-XVIII-1.—

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-clause (a) and (b) of clause (iv) of sub-section (2) of section 355 read with sub-section (1) of section 86 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961(No. 37 of 1961), the State Government, hereby makes the following rules namely:-

RULES

1- Short title and commencement -

- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh State Urban Engineering Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2015.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2- Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Act" means the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961);
- (b) "Appointing authority" in respect of service or post means the Government or competent authority;
- (c) "Commission" means the Madhya Pradesh Public Service Commission;
- (d) "Commissioner" means the Commissioner, Urban Administration and Development, Madhya Pradesh;
- (e) "Committee" means the Departmental Promotion committee/selection committee;
- (f) "Disciplinary Authority" means an authority, as prescribed in column (7) of Schedule I;
- (g) "Examination" means a competitive examination for recruitment to the service held under rule 12;
- (h) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
- (i) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide notification No. F-8-5/25/4/84 dated 26 December, 1984 as amended from time to time;
- (j) "Selection Institute" means Institute, Agency, Public Sector Unit or any autonomous body prescribed by the State Government for selection from time to time.
- (k) "Schedule" means Schedules appended to these rules;
- (l) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under article 341 of the Constitution of India;

- (m) "Scheduled Tribes" means any tribe or tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as scheduled tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under article 342 of the Constitution of India;
- (n) "Service" means the State Urban Engineering Service;
- (o) "State" means the State of Madhya Pradesh.
- 3- **Scope and application.**- without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.
- 4- **Constitution of the Service.**- The Service shall consist of the following persons, namely:-
- (i) persons, who at the time of commencement of these rules, are holding any post substantively or in the officiating capacity, as specified in Schedule I;
- (ii) persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and
- (iii) persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.
- 5- **Classification, scale of pay etc.**- The classification of the service, the number of posts included in the service and scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provision contained in Schedule-I:
- Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service on permanent or temporary basis.
- 6- **Method of recruitment.**-
- (1) Recruitment to the service or post after the commencement of these rules shall be made by the following methods, namely:-
- (a) by direct recruitment through examination, interview or both;
- (b) by promotion of the members of the service as specified in Schedule IV;
- (c) by transfer of persons who are holding in substantive capacity, such posts in such services as may be specified in this behalf.
- (2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not, at any time, exceed the percentage as shown in Schedule II and the number of posts as specified in Schedule-I.
- (3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method shall be determined on each occasion by the Appointing Authority.

- (4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority, the exigencies of the service so require, the Appointing Authority may, after obtaining prior concurrence of the General Administration Department, adopt such method of recruitment to the service other than those specified in the said rule, as may, by order be issued in this behalf.

7- Appointment to the Service.-

- (1) All appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.
- (2) Appointment to class-II posts as specified in schedule I shall be made by the State Government through Madhya Pradesh Public Service Commission.
- (3) Appointment to class-III service shall be made by the Commissioner through a selection institute prescribed by the State Government.

8- Conditions for eligibility of direct recruitment.-

In order to be eligible for a selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(a) Age.-

- (i) Minimum and maximum age limits shall be in accordance with the notifications issued by General Administration Department from time to time. Age shall be calculated on the first day of coming January following the date of advertisement.

(ii) The Upper age limit shall be relaxable as under:-

- (a) Relaxation shall be admissible to employees of Government of Madhya Pradesh and State Corporations/Board, Autonomous Bodies, Contingency paid employees and Work charged employees as per circulars issued from time to time by General Administration Department;
- (b) Relaxation shall be admissible to native candidates of Madhya Pradesh Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as per Circulars by General Administration Department, Government of Madhya Pradesh, issued from time to time under section 9 of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anushuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994);

- (c) Relaxation shall be admissible to native Woman candidates of Madhya Pradesh as per Madhya Pradesh Civil Service (Special provision for Appointment of Women) Rule, 1997;
- (d) Relaxation shall be admissible to the ex-servicemen of natives candidate's of Madhya Pradesh as per rule 5 of Madhya Pradesh Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the State Civil Services and Posts Class III and Class IV) Rules, 1985;
- (e) Relaxation shall be admissible to the following classes as per circulars issued from time to time by the General Administration Department of Government of Madhya Pradesh;
- (i) Widow/Destitute Woman/Divorcee Woman;
 - (ii) Physically handicapped person;
 - (iii) Green Card holder under Family Planning programme;
 - (iv) Vikram awarded sportsperson;
 - (v) Awarded Upper Caste Partner of a couple under the Inter Caste Marriage incentive programme;
 - (vi) Other Categories specified by the General Administration Department, Government of Madhya Pradesh

Note: (1) In any case, maximum age limit including all relaxations for any class shall not exceed the maximum age limit of 45 years fixed by the General Administration Department, Government of Madhya Pradesh.

(2) The calculation of the upper age limit shall be as per the General Administration Department's Circular No. C-3-11/12/1/3 Dated and 20-11-2012 and 03-11-2014 as amended from time to time.

- (b) **Educational qualification.**- Candidates must possess the educational qualifications prescribed under column (5) of Schedule III.
- (c) **Fee.**- Candidates shall pay the fees prescribed by the Commission or selection Institute.

9. **Disqualification.**

- (1) Any attempt on the part of candidate to obtain support for his candidature by any means shall render him liable to be disqualified by the appointing authority for appearing in the examination/selection.
- (2) No candidate shall be eligible for appointment to the service or a post, who has married before attaining the minimum age fixed for marriage.

(3) No male candidate who has more than one wife living and no female candidate who has married a person having a wife living, shall be eligible for appointment to any service or post.

(4) A candidate shall not be eligible for any service or post if he has more than two living children and one of whom is born on or after 26th January, 2001:

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post who already has one living child and next delivery takes place on or after 26th January, 2001 in which two or more than two living children are born.

(5) No candidate shall be eligible for the appointment to any service or post who has been convicted for an offence against the women:

Provided that if such case is pending in a court against the candidate, his appointment shall be kept pending till the final decision of the criminal case.

10- **Appointing authority's decision shall be final.**- The decision of the Selection Institute or appointing authority about the eligibility or disqualification of candidate for appearing in examination/ Interview or both shall be final.

11- **Direct recruitment by competitive examination/selection.**-

(1) The competitive examination/ selection for recruitment to the service shall be held at such intervals, as the Appointing Authority may, in consultation with the State Government or Commission, as the case may be, determine from time to time.

(2) For the posts to be filled through Selection Institute the examination shall be conducted by the Selection Institute in accordance with such orders as the State Government, may from time to time issue.

(3) There shall be reserved posts for the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of direct recruitment in accordance with the provisions of in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Evam Anya Pichhade Vargon ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and orders issued by the State Government from time to time.

(4) At the time of filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relative ranks as compared with other candidates.

(5) Candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes considered by the Appointing Authority to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of the efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of

the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be.

- (6) There shall be reserved posts for the women candidates, in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Civil Service (Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997.
- (7) There shall be reserved posts for handicapped candidates in accordance with the circular of the General Administration Department.
- (8) There shall be reserved posts for ex-serviceman in accordance with the circular of the General Administration Department.
- (9) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential conditions for the posts to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Appointing Authority that there is a possibility, the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Classes, may not be available in sufficient number, the Appointing Authority may relax the conditions of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in consultation with the General Administration Department.
- (10) If sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall not be filled by other candidates and vacancies shall be kept reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes for next selection.

12. List of candidates recommended for appointment to the posts of service.-

- (1) The Appointing Authority shall prepare and forward a list arranged in order of merit of the candidate, who have qualified by such standard as determined by the Appointing Authority and a list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard but are declared by the Appointing Authority to be suitable to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration and the list shall also be published for general information.
- (2) Subject to the provisions of these rules and the Madhya Pradesh Civil Service (General Condition of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in order in which their names appear in the list.
- (3) The inclusion of candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied after such enquiry, as it may be consider

necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

- (4) The select list shall be valid for a period of one year from the date of issue that may be extended for the period of six month with concurrence of the Government (in case of Sub-Engineer) and Commission (in case of Assistant Engineers)

13. Appointment by promotion.-

- (1) Promotion up to the post of Executive Engineer shall be on the basis of seniority subject to fitness. Promotion for the higher posts shall be on the basis of merit-cum- seniority i.e. in case of equal merit, seniority shall be considered.
- (2) There shall be constituted a committee consisting of members as mentioned in Schedule IV, for making a selection for promotion of eligible candidates:

Provided that if the nominated members other than the member presiding the Departmental Promotion Committee in respects of the posts to be filled up by promotion do not represent the category of Scheduled Castes or Scheduled Tribes, then one member belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes category of the same status shall be included in the Departmental Promotion Committee shall be extended to that limit.

- (3) The promotion of members of the service specified in column (2) of Schedule-IV to the posts as specified in column (3) thereof, the eligibility of candidate, selection process, reservation in promotion an appointment by promotion shall be in accordance with prevailing rules and with the provision as specified in the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rule, 2002 for the post to be filled through commission.
- (4) **Certification by the Appointing Authority.-** Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him a certificate to the effect that he has complied with the provisions of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhede Vargon ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rule, 2002 and the instruction issued in the light of the provisions of the said Act and the rules by the State Government and that he has taken full cognizance of the provision of sub-section (1) of section 6 of the said Act.

- 14. Condition of eligibility for promotion.-** (1) The Committee referred to in sub-rule (1) of rule 15, shall consider the cases of all persons, who on the 1st day of January of that year, had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) in the posts from which promotion is to be made or on any other post or posts declared equivalent thereto by the Government as specified in column (3) of the schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (3):

Provided that no junior person shall be considered for selection, selection grade/promotion in preference to the persons senior to him, only on the basis of completing the prescribed period of service.

15. Preparation of the list of suitable candidates for promotion.-

- (1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 14 and are held by the committee to be suitable for promotion to the service according to the provisions of the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement/promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list consisting of 25 percent number of persons, included in the said select list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.
- (2) The criteria of preparation for select list shall be as per the provisions of Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002.
- (3) The names of persons included in the select list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in column (2) of Schedule IV at the time of preparation of each select list. Whenever promotion is to be made on the basis of merit-cum-seniority the select list shall be prepared as per the provisions of the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002.

16. Appointment to the service from the select list.-

- (1) Appointment of the persons included in the select list to the posts born on the cadre of the service shall follow the order, in which the name of such persons appear in the select list.
- (2) It shall not ordinarily be necessary to consult Commission before the appointment of a person whose name is included in the select list in the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the dates of his proposed appointments, there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Government in such as to render him unsuitable for appointment to the service.

17. Probation.- Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

18. Interpretation:- If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government, whose decision shall be final.

19. **Relaxation:** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person, to whom these rules apply, in such manner, as may appear it to be just and equitable:

Provided that no case shall be dealt with in any manner less favorable to a person than that is provided in these rules.

20. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, and other conditions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the rules made or instructions/ order issued by the State Government from time to time, in this regard.

21. **Repeal and Saving** – All rules corresponding to these rules in force immediately before their commencement are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules repealed shall be deemed to have been made or taken under corresponding provision of these rules.

SCHEDULE-I

(See rule 5)

(Classification, pay scale, number of posts included in the service)

S.No	Name of the post included in the service	Number of Posts	Classification	Scale of Pay	Postings	Disciplinary Authority	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Engineering in Chief	1	Class I	37400-67000+10000 Grade Pay	In Directorate – 01,	Commissioner	Government
2.	Chief Engineer	5	Class I	37400-67000+8700 Grade Pay	In Directorate – 01, In Municipal Corporation on deputation - 04	Commissioner	Government
3.	Superintendent Engineer	24	Class I	15600-39100+7600 Grade Pay	In Directorate – 03, In Divisional Office – 10, Municipal Corporation on deputation – 11,	Commissioner	Government
4.	Executive Engineer	50	Class I	15600-39100+6600 Grade Pay	In Directorate – 06, In Divisional Office – 20, Municipal Corporation on deputation & Reserve – 05, Municipal Council - 19	Commissioner	Government
5.	Assistant Engineer	158	Class II	15600-39100+5400 Grade Pay	In Directorate – 06, In Divisional Office – 20, Municipal Corporation on deputation & Reserve – 13, Municipal Council - 119	Commissioner	Government

6.	Sub Engineer	721	Class III	9300-34800+3600 Grade Pay	Municipal Corporation on deputation & Reserve - 54, Municipal Council - 667	Engineering in Chief	Commissioner
----	--------------	-----	-----------	------------------------------	---	----------------------	--------------

SCHEDULE II
(See rule 6)
Method of Recruitment

S. N.	Name of the post	Total number of Duty Post	Percentage of the number of duty Post be filled		Transfer from other temporary (ad hoc) services	Remarks
			Direct Recruitment	Promotion		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Engineering in Chief	1	-	100 percent		
2.	Chief Engineer	5	-	100 percent		
3.	Superintendent Engineer	24	-	100 percent		
4.	Executive Engineer	50	-	100 percent		
5.	Assistant Engineer	158	50 percent	50 percent *		*33 percent from diploma holder Sub-Engineer, 13 from the Sub-Engineer either who having obtained Engineering Degree during service or who possesses Engineering Degree prior to their joining in the service and 4 percent from Draughtsman.
6.	Sub Engineer	721	95 percent	5 percent		5 percent Diploma/Degree holder (Draftsman/ Assistant Draftsman/Tracer/Timekeeper) After completion of 5 years service on the post as mention above.

SCHEDULE III
(See rule 8 and 9)
Age and Qualification of person for Direct Recruitment

S.No.	Name of Post	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed Minimum Educational Qualification	Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	Assistant Engineer	21 Years	40 Years	BE/B. Tech or equivalent in Civil/Mechanical/Electrical Engineering from recognized institution or University	Graduate or in Engineering equivalent in required Discipline.
2.	Sub Engineer	18 Years	40 Years	Three year diploma in Civil/Mechanical/Electrical engineering from any recognized institution	Diploma in Engineering required Discipline

SCHEDULE IV

(See rule 14)

Service Experience for Promotion and members of Departmental Promotion Committee

S.N.	Name of the post or service from which promotion is to be made	Name of the post to which promotion is to be made	Experience in the post from which promotion is to be made	Name of member of the Department Promotion Committee	Remarks
1	2	3	4	5	6
1	Chief Engineer	Engineer-in-Chief	-	1- Chief Secretary, Govt. Of M.P. or his nominee- Chairman. 2- Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, M.P. Government. - Member 3- Principal Secretary M.P. Government, Urban Development and Environment Deptt. - Member 4- One person nominated by Chief Secretary belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes category - Member	Should be a graduate in Engineering.
2	Superintendent Engineer	Chief Engineer	After completion of 3 years service on the post of Superintendent Engineer	1- Chief Secretary, Govt. Of M.P. or his nominee- Chairman. 2- Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, M.P. Government. -- Member 3- Principal Secretary M.P. Government, Urban Development and Environment Department - Member 4- On person nominated by Chief Secretary belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes category - Member	Should be a graduate in Engineering
3	Executive Engineer	Superintendent Engineer	After completion of 5 years service on the post of Executive Engineer.	1. Chairman, Public Service Commission or his nominee - Chairman 2. Principal Secretary, M.P. Government, Urban Development and Environment Deptt. - Member,	1. Should be a graduate in Engineering. 2. From the common gradation list of civil, mechanical and electrical

				3. Commissioner, Urban Administration and Development- Member 4- On person nominated by the Department belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes category - Member	engineer.
4	Assistant Engineer	Executive Engineer	After completion of 6 years service on the post of Assistant Engineer	----do----	
5	Sub Engineer	Assistant Engineer	1. After completion of 12 years service on the post of Sub Engineer holding Diploma. 2. After completion of 8 years service on the post of Sub Engineer holding degree	----do----	
6	Draftsman/ Asst. Draftsman/ Tracer/ Timekeeper	Sub Engineer	After completion of 5 years service on the post of Draftsman, Asst. Draftsman, Tracer, Timekeeper	1. Principal Secretary, M.P. Government, Urban Development and Environment Deptt /Engineer-in-Chief – Chairman 2. Engineer-in-Chief/Senior Superintendent Engineer-Member, 3. Additional Director, Urban Administration and Development- Member 4- On person nominated Commissioner belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes category - Member	From the common gradation list of Draftsman/ Assistant Draftsman/ Tracer/ Timekeeper

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. N. MISHRA, Principal Secy.